रेरा ने कहा

भवन निर्माण के कायदा कानून का सख्ती से पालन कराए सरकार

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी

(रेरा) ने राज्य सरकार से भवन निर्माण के लिए जारी नियम-कानून का सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्राधिकारों को कानूनों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों द्वारा अपार्टमेंटों को ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण पुराने प्रोजेक्ट के रेरा में निबंधन में परेशानी आ रही है। रेरा अध्यक्ष ने निकाय के प्राधिकारों को स्थल निरीक्षण कर कई बिन्दुओं पर जांच कराने को कहा है। इसमें भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के हिसाब से हुआ है या नहीं। जांच के दौरान कोई गड़बड़ी मिलती है, तो इसकी शिकायत की जानी चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट को बिजली, पानी और सीवरेज का कनेक्शन नहीं दी जाए।

Scanned by CamScanner